राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2021 अपील

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी छगन लाल जाट निवासी बोरखेडा तहसील हुरडा

बनाम

1. श्रीमती बसन्त कंवर पत्नी स्व. भीम सिंह राजपूत निवासी बोरखेडा तहसील हुरडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण नंबर 2018 दिनांक 13.05.2021 तहसीलदार हुरडा

उपस्थित –

1. श्री रामदयाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.12.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 2018 दिनांक 13.05.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने खातेदार भीमसिंह से सरहद बोरखेड़ा पटवार हल्का बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 895 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 899 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 08 बिस्वा में से उसका सम्पूर्ण हक हिस्सा व आराजी नम्बर 900/1 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण को दिनांक 25/10/2018 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये कय किया गया। जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1996 दिनांक 20/12/2018 के स्वीकार कर फैसल किया गया, जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ऑनलाईन भी इन्द्राज किया गया, इसके पश्चात ग्राम पंचायत के संरपच व राजस्व कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलीभगती कर द्वेषतावश राजकीय दस्तावेजात की कूटरचना कर हेराफेरी करते हुए दिनांक 07/01/2019 को नामान्तरणकरण को खारीज

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

फरमा दिया गया, जिसके संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के यहां अपील विचाराधीन होने व प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा मे विक्रयपत्र निरस्तीकरण का वाद पेश करने व न्यायालय द्वारा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश जारी करने व प्रत्यर्थी संख्या 02 तहसीलदार भी मामले में पक्षकार होने व उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के पक्ष में विरासत का नामान्तरणकरण फैसल कर दिया गया, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण खोलने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर पटवार हल्का को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर पटवार हल्का द्वारा दिनांक 03/11/2018 को नामान्तरणकरण भरकर भू अभिलेख निरीक्षक के पास पेश किया व दिनांक 20/12/2018 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट कर नामान्तरण उसी दिन पंचायत कोरम में पेश किया गया। ग्राम पंचायत के संरपच, सचिव वार्ड पंचगण ने सर्वसमत से प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20/12/2018 को पारित कर भूमि का नामान्तरणकरण अपीलार्थीया श्रीमती लाली देवी के नाम पर खोलने का आदेश दिया गया तथा नामान्तरण की पुस्त पर नामान्तरणकरण खोलने का आदेश लिख संरपच पार्वती जाट ने हस्ताक्षर किये गये और सील लगाई, पटवार हल्का बोरखेड़ा के पटवारी रामप्रताप जाट ने नामान्तरणकरण आदेश को तहसीलदार, हुरडा के समक्ष पेश किया, जिस पर दिनांक 08/01/2019 को नामान्तरणकरण संख्या 1996 दिनांक 20/12/2018 को इन्द्राज संवत 2073 से 2076 में किया गया गया, अपीलार्थीया के पुत्र ने दिनांक 12/01/2019 को जमाबंदी की नकल निकलवाई जिसमे नामान्तरण का इन्द्राज था। इस नामान्तरणकरण की जानकारी ग्राम पंचायत गढवालो का खेड़ा के संरपच पार्वती जाट के पिता गजमल जाट को होने पर उसने अपीलार्थीया के पुत्र से कहा कि यह जमीन मेरे खाते के पास है, तुमने कैसे खरीदी तुम आधी जमीन मेरे नाम पर करा दो वरना मै इस जमीन को तुम्हारे खाते में दर्ज नही होने दूंगा, अपीलार्थीया का पुत्र गजमल जाट की धमकी से नहीं डरा तो दिनांक 14/01/2019 को गजमल जाट द्वारा अपीलार्थीया व उसके पुत्र को कहा कि तुने हमारी बात नहीं मानी तो हमने जमाबंदी से तुम्हारा नाम हटा दिया है, इस पर अपीलार्थीया के पुत्र द्वारा ऑनलाईन 14/01/2019 को जमाबदी की नकले ली तो

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जमाबंदी में अपीलार्थीया के नाम दर्ज नामान्तरणकरण का इन्द्राज नही था। इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा कयशुदा भूमि का अपीलार्थीया के पक्ष में नामान्तरणकरण फैसल करने के पश्चात गलत तौर पर उसे खारीज किया गया जिसकी अपील अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर महोदय, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के यहां पेश की, जिसके प्रकरण संख्या 03/2019 अपील लाली देवी बनाम ग्राम पंचायत होकर जैर कार्यवाही है। जिसमे भी तहसीलदार हुरड़ा पक्षकार संयोजित है। प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा अपीलार्थीया के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त कराया जाने हेतु न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में एक वादपत्र पेश किया, जिसके साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 जा०दी० का पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 32/2019 मु०दी० बसन्त कंवर बनाम लाली वगैरहा कायम हुए, जिसमे भी तहसीलदार हुरड़ा एवं उपपंजीयक हुरड़ा पक्षकार है, जिसमे सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 09/12/2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, जिसमे राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखने का आदेश पारित किया गया, जिसकी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा को बखुबी जानकारी है। अपीलार्थीया व उसके पुत्र द्वारा दिनांक 08/04/2021 को तहसीलदार हुरड़ा के समक्ष स्थगन आदेश की प्रति पेश की गयी, इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 02 तहसीलदार हुरड़ा को उक्त स्थगन आदेश की भली भांति जानकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 को भली भांति जानकारी में था कि प्रत्यर्थी संख्या 01 के पति द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थीया को विक्रय की जा चुकी है व उसके द्वारा सिविल न्यायालय में बाद पेश कर रखा है व न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 द्वारा आपस में मिलीभगती कर नाजायज लाभ अर्जित करने की नियत से खातेदार भीम सिंह की विरासत का नामान्तरणकरण हेतु प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा आवेदन किया गया, जिसमे स्थानीय पटवार हल्का बोरखेड़ा की रिपोर्ट नही लेकर दिनांक 14/05/2021 को पटवार हल्का आगूंचा के द्वारा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने व दिनांक 24/02/2020 तक न्यायालय स्थगन का अंकन नोटशीट में होकर आगमी पेशी मे स्थगन का अंकन नही होना अंकित किया गया। पटवार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14/05/2021

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की है, जबकि नामान्तरणकरण दिनांक 13/05/2021 को ही तहसीलदार हुरड़ा द्वारा फैसल कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा द्वारा इस आधार पर नामान्तरणकरण स्वीकृत किया गया कि "समस्त पेश दस्तावेजो का अध्ययन किया/न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी को पाबंद किया गया है, अन्य पक्षकारों को कोई निर्देश नहीं दिये गये है, उक्त पांबदी व स्थगन भी दिनांक 24/02/2020 तक ही प्रभावी पायी गयी, प्रकरण मे आज दिनांक माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन जारी नहीं दिया गया है"। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारों को निर्देश नहीं देने का तथ्य अंकित किया है, जो गलत है, जबकि सिविल न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश दिया गया है, जिसकी पालना स्वयं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा को करनी है व उसी को पांबद किया गया व साथ ही दिनांक 24/02/2020 के बाद स्थगन का अंकन नहीं होने से स्थगन नही होने का अंकन किया गया है, जबकि दिनांक 24/02/2020 की तारीख पेशी के बाद कोविड–19 संक्रमण के कारण तारीखे तब्दील हुई है तथा सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त भी नही किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त स्थगन आदेश प्रभावी है तथा अधिनस्थ न्यायालय को उक्त स्थगन आदेश की भली भांति जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 01 को बेजा लाभ पहुंचाने व स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित कर उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर महोदय, गुलाबपुरा के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 03/2019 लाली देवी बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 22/04/2021 को स्थगन हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा स्वयं पक्षकार है, उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थनापत्र को दिनांक 10/05/2021 को आदेश पारित किया जिसमे माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा के द्वारा उक्त आराजी बाबत स्थगन बाबत आदेश जारी होने से नया स्थगन जारी किया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थनापत्र को खारीज किया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त स्थगन आदेश निरन्तर होने की जानकारी है तथा उसके द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये, केवल मात्र

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

नाजायज लाभ अर्जित करने के दुराशय से कानून को बाला ए ताक रखकर उक्त नामान्तरकरण फैसल किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 2018 निर्णय दिनांक 13/05/2021 को अपास्त फरमाया जाकर पूर्ववत स्थिति बहाल करा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण खोला जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 03.06.2021 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी ने खातेदार भीमसिंह से सरहद बोरखेड़ा पटवार हल्का बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 895 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 898 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 899 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 08 बिस्वा में से उसका सम्पूर्ण हक हिस्सा व आराजी नम्बर 900/1 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण को दिनांक 25/10/2018 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये कय किया गया। जिसका नामान्तरणकरण संख्या 1996 दिनांक 20/12/2018 के स्वीकार कर फैसल किया गया, जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ऑनलाईन भी इन्द्राज किया गया, इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय दस्तावेजात की कूटरचना कर हेराफेरी करते हुए दिनांक 07/01/2019 को नामान्तरणकरण को खारीज फरमा दिया गया, जिसके संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के यहां अपील विचाराधीन होने व प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा मे विक्रयपत्र निरस्तीकरण का वाद पेश करने व न्यायालय द्वारा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश जारी करने व प्रत्यर्थी संख्या 02 तहसीलदार भी मामले में पक्षकार होने व उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के पक्ष में विरासत का नामान्तरणकरण फैसल कर दिया गया, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर महोदय, गुलाबपुरा के समक्ष

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विचाराधीन अपील संख्या 03/2019 लाली देवी बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 22/04/2021 को स्थगन हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा स्वयं पक्षकार है, उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थनापत्र को दिनांक 10/05/2021 को आदेश पारित किया जिसमे माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा के द्वारा उक्त आराजी बाबत स्थगन बाबत आदेश जारी होने से नया स्थगन जारी किया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थनापत्र को खारीज किया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त स्थगन आदेश निरन्तर होने की जानकारी है तथा उसके द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये, केवल मात्र नाजायज लाभ अर्जित करने के दुराशय से कानून को बाला ए ताक रखकर उक्त नामान्तरकरण फैसल किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 2018 निर्णय दिनांक 13/05/2021 को अपास्त फरमाया जाकर पूर्ववत स्थिति बहाल करा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरणकरण खोला जाने का आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपील के बिन्दु संख्या 4 में अंकित ग्राम पंचायत द्वारा जारी नामान्तरकरण अलग था एवं अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण अपास्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के यहां अपील पेश कर रखी है जो जैर कार्यवाही है। अपीलार्थी ने प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की टिप्पणी वाली जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश नही की हैं। वर्तमान अपील तहसीलदार हुरडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2018 के विरूद्व पेश की हैं। अपीलार्थी को विरासत के नामान्तरकरण की अपील धारा 135 के तहत की जानी थी एवं उक्त नामान्तरकरण में मात्र मृतक खातेदार की विरासत बाबत् ही खोला गया हैं। अपील में प्रश्नगत विषय वस्तु की आराजी बाबत् जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत अपीलाण्ट के पक्ष में हुआ हैं उसके संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में वादपत्र जैरकार हैं। जिसमें मान. सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन प्रा. पत्र में अपार्थी संख्या 01 लाली देवी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ हैं,

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

इस कारण उक्त स्थगन आदेश से अपीलाण्ट लाली देवी को ही पाबन्द किया गया था, अन्य पक्षकारान् को नही किया गया। तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 2018 में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2021 अंकित की गयी एवं प्रति परत में सहवन से दिनांक 14.05. 2021 अंकित कर दी गयी। उक्त त्रुटि सद्भाविक एवं सहवन से हुयी हैं, जिसकी जानकारी होते ही उसे दुरूस्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें प्रथम बार प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन जारी नही किया गया एवं उसके बाद आगामी पेशी को खातेदार की मात्र एक ही आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया जो, उक्त तहसीलदार हुरडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2018 के बाद की दिनांक का हैं। उक्त विवादित नामान्तरकरण 2018 विरासतन बाबत् खोला गया है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसेडिंग है जिससे किसी का हक अधिकार तय नही होता है। प्रकरण में हक अधिकार का निर्णय मान. सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर ही होना हैं। विरासत का नामान्तरकरण सही तौर खोला गया हैं। तहसीलदार हुरडा के जवाब में स्पष्ट अंकित है कि पटवार हल्का बोरखेडा का पद रिक्त होने से अतिरिक्त पटवार हल्के का प्रभार पटवारी हल्का आंगूचा को ग्राम बोरखेडा व कानिया का दिया गया है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विपक्षी संख्या 01 की बहस उपरान्त अपीलार्थी अधिवक्ता ने रिवटल (खण्डन) में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा स्थगन आदेश पहले तीन आराजी के लिये एवं बाद में एक आराजी के लिए जारी किया गया हैं। तहसीलदार हुरडा ने अपीलार्थी को नही सुना है। अपील प्रस्तुत होने के बाद नामान्तरकरण की रिपोर्ट की तारीख में फेरबदल किया है तथा पटवारी के अतिरिक्त प्रभार का कोई पत्र जारी नही किया हुआ है। अपीलार्थी द्वारा मा. सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो जैरकार हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवार मण्डल बोरखेडा द्वारा आराजी

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

नं. 900/1, 895, 898, 899 किता 4 के विरासतन नामान्तरकरण की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2021 को की गयी जिसमें प्रकरण सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में जैरकार होना अंकित किया हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट पश्चात् गिरदावर हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी सिविल न्यायालय में कार्यवाही जैरकार होना अंकित किया है एवं रिपोर्ट दिनांक 13.05.2021 अंकित की है। पश्चात् इसके तहसीलदार हुरडा ने भी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय प्रकरण न्यायालय में जैरकार होना अंकित करते हुये नामान्तरकरण दिनांक 13.05.2021 को पारित कर दिया गया।

इस प्रकार जाहिर आया कि पटवार हल्का एवं गिरदावर हल्का दोनो की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार होने के उपरान्त भी सभी पक्षकारानों की सुनवायी किये बिना ही विरासतन् नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

इसी प्रकार पटवार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2021 अंकित की गयी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट पटवार हल्का रिपोर्ट से एक दिन पहले की दिनांक 13.05.2021 अंकित की गयी जो जाहिर तौर सिद्ध होता है कि प्रकरण में बिना किसी सुनवायी के आनन फानन में रिपोर्ट तैयार की गयी। इन्ही रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने बिना पक्षकरानों की सुनवायी की जाकर तथा प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार होने के उपरान्त भी एवं सभी तथ्यों एवं दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किये बिना ही, पटवार हल्का रिपोर्ट दिनांक 14.05.2021 से एक दिन पूर्व दिनांक 13.05.2021 को नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो विधिनुकूल प्रतीत नहीं होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम बोरखेडा की जमाबन्दी संवत् 2073 –2076 अनुसार आराजी नं. 900/1, 895, 898, 899 किता 4 में जरिये बेचान से नामान्तरकरण भीमसिंह पिता डूंगरसिंह के बजाय लालीदेवी पत्नी छगनलाल जाट के नाम दिनांक 20.12.2018 को खोला गया एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2077–2080 में उक्त आराजी पुनः विक्रेता भीमसिंह पिता डूंगरसिंह के नाम पर कर दी गयी। लालीदेवी का नाम हटाये जाने संबंधी कोई आदेश जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हैं कि किस आदेश या आधार पर लालीदेवी का नाम हटाया गया।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार भीमसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत द्वारा लालीदेवी को दिनांक 20.12.2018 से विक्रय की गयी प्रश्नगत आराजी में लालीदेवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद किन आदेशों के तहत लालीदेवी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया गया ? इसकी जांच किये बिना एवं प्रकरण मान0 सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में जैरकार रहते हुये तथा बिना पक्षकारों की सुनवायी की जाकर तहसीदार हुरडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2018 पारित किया जाना पूर्णतः विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण जांचकर, हितबद्व पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर एवं इस प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में जैरकार व निर्णित प्रकरणों का भी पूर्ण अध्ययन कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 2018 निर्णय दिनांक 13.05.2021 को अपास्त कर तहसीलदार हुरडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सम्पूर्ण जांचकर, हितबद्व पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर एवं इस प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में जैरकार व निर्णित प्रकरणों का भी पूर्ण अध्ययन कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्री राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा